सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 13/2016 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

RCMS NO : 2016/00026

अनवान

समस्त ग्राम वासी कागदर भाटिया पूर्व तहसील खेरवाडा, हाल तहसील ऋषभदेव, जरिये प्रतिनिधिगण–

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री शन्तिलाल मीणा, निवासी कागदर भाटिया, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
2. श्री शान्तिलाल मीणा पिता श्री गौतम जी मीणा, निवासी कागदर भाटिया तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
3. श्री पूनमचन्द पिता घावरा जी मीणा, निवासी कागदर भाटिया तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
4. श्री मंगलदास पिता मानींग, निवासी कागदर भाटिया तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
5. श्री सग्रांम पिता रतना जी मीणा, निवासी कागदर भाटिया तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
6. श्री शंकरलाल पित नाथा मीणा, निवासी कागदर भाटिया तह ऋषभदेव, जिला उदयपुर
7. श्री शम्भूलाल पिता माना मीणा, निवासी कागदर भाटिया तह ऋषभदेव, जिला उदयपुर
8. श्री लक्ष्मण पिता हक्का मीणा, निवासी कागदर भाटिया तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
9. श्रीमती जीजा देवी पत्नि लक्ष्मण मीणा, निवासी कागदर भाटिया तह ऋषभदेव, जिला उदयपुर
10. श्री पूनमचन्द पिता हरजी मीणा, निवासी कागदर भाटिया तह ऋषभदेव, जिला उदयपुर
11. श्री रोडा पिता थावरा मीणा, निवासी कागदर भाटिया तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मैसर्स मन कामना मार्बल नेशनल हाईवे नम्बर–8, ऋषभदेव प्रोपराईटर श्री योगेश जैन, निवासी 205, त्रिमूर्ति अपार्टमेन्ट, सेक्टर नम्बर–14, गोवर्धन विलास, उदयपुर
2. श्री रूपलाल पिता श्री नाना जी मीणा, निवासी कारछा (फला) तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर

1\. सरकार जरिये तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री खूबीलाल सिंघवी, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970
बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 10-05-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा कागदर भाटिया, पूर्व तहसील खेरवाडा, हाल तहसील ऋषभदेव की साबिक आराजी संख्या 3718/1 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि का तत्कालीन भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मिसल संख्या 261/1964 से थावरा पिता केहरा मीणा को आवंटित किया। थावरा के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि थावरा के वारिसान श्री कडवा पिता थावरा एवं नाना पिता थावरा के नाम विरासत से हि.ब. दर्ज हुआ तथा इनके मृत्यु के पश्चात् कडवा का हिस्सा वसुडी, लीमडी, धुलकी पुत्री कडवा मीणा, झुमली पत्नि कडवा मीणा के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित हुआ एवं नाना पिता थावरा द्वारा अपना 1/2 हिस्सा बाबूलाल पिता नारायण मीणा नामक व्यक्ति को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय किया। कडवा के उपरोक्त चारों वारिसान द्वारा अपना 1/2 हिस्सा रूपलाल पिता नाना मीणा को विक्रय कर दिया। जिससे वर्तमान में 1/2 हिस्सा रूपलाल पिता नाना मीणा के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। बाबूलाल पिता नारायण मीणा द्वारा उक्त भूमि का औद्योगिक रूपान्तरण करा मैसर्स मन कामना मार्बल्स नेशनल हाईवे संख्या 8 को विक्रय कर दिया जिसका प्रोपराईटर योगेश जैन राजस्व अभिलेखों में अंकित है। प्रारम्भ से ही प्रथम सेटलमेन्ट से पूर्व सेटलमेन्ट के दौरान एवं जागीर खास जवास में उक्त वर्णित भूमि की किस्म पेटा तालाब अंकित है तथा पीढियों पुराना तालाब होकर उक्त भूमि तालाब पेटे में होकर डूब में है। पिछले 100 वर्षो से भी अधिक समय से भूमि तालाब में होकर अभिलेखों में पेटा तालाब अंकित है। उक्त तालाब से आस पास के गांवों के मवेशी पानी पीते है एवं सिचाई होती है। उक्त तालाब में वर्षभर पानी भरा रहता है। वर्तमान में भी कृषि या अन्य उपयोग के लिये यह भूमि नही है, जिससे किया गया यह आवंटन एवं उसके बाद किये गये विक्रय व खोले गये नामान्तरकरण विधि के विपरित होने से मूल आवंटन निरस्त योग्य है। तत्कालीन भूमि आवंटन कमेटी द्वारा नियमों की अनदेखी कर उक्त भूमि का आंवटन किया गया है। आवंटी अथवा क्रेता व विपक्षी संख्या 1 व 2 का उक्त तालाब पेटे में डूबी हुयी भूमि पर कभी कब्जा नही रहा। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण समस्त ग्रामवासी कागदर भाटिया, तहसील ऋषभदेव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर साबिक आराजी संख्या 3718/1 के हाल आराजी संख्या 6220 रकबा 0.40, 6221 रकबा 0.08, 6222 रकबा 0.02, 7619/6223 रकबा 0.07 का मिसल संख्या 261/1964 से किया गया आवंटन जनहित व न्यायहित में निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया, विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री कल्पित जैन अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मिसल संख्या

261/1964 से विवादित आराजियात का तत्कालीन तहसीलदार खेरवाडा द्वारा विधिवत रूप से नाम अंकन हुआ तथा थावरा नामक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् विधिवत रूप से उसके वारिसान द्वारा जरिये पंजीकृत विलेख विक्रय की गयी है एवं विधिवत रूप से राजस्व अभिलेखों में अंकित है। उक्त भूमि की किस्म पेटा तालाब कही पर भी अंकित नही है, बल्कि उक्त भूमि की किस्म बारानी द्वितीय अंकित हो उक्त भूमि डूब क्षेत्र में नही है। मौके पर न तो कोई तालाब है और न ही आस पास के मवेशी पानी पीते है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में कही भी भूमि की किस्म तालाब होना अंकन नही किया है। इस भूमि के पास बरसाती पानी का प्रवाह का अंकन किया है न कि तालाब के स्थित होने का अंकन किया है। उक्त आराजियात के पास से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहा है एवं बरसाती पानी के निकासी के पाईप लगे है। यदि मौके पर तालाब होता तो निकासी हेतु पाईप लगे न होकर किसी प्रकार की पाल होने का अंकन होता। जिससे यह स्पष्ट है कि मौके पर न तो वर्षभर पानी भरा रहता है और न ही तालाब है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु कोई लिखित या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, मात्र आवंटन के 60 वर्ष बाद गलत तरीके से विपक्षीगण को परेशान करने हेतु गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि की किस्म तालाब न होकर राजस्व रेकर्ड में बारानी अंकित थी, जिसे विधिवत रूप से सम्परिवर्तित कराया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि समस्त आवंटन कार्यवाही से प्रार्थीगण पूर्णतया परिचित है इसी अनुसरण में ग्रामवासियों ने दिनांक 14.10.2013 को एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर (भू.अ.) के समक्ष प्रस्तुत किया था एवं आवंटन की जांच की मांग की थी। इस प्रार्थना पत्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 07.02.2014 को तहसीलदार ऋषभदेव से रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 21.02.2014 को कार्यवाही ड्रोप कर दी गयी थी। इस प्रकरण के प्रार्थीगण ही उक्त मामले में पक्षकार थे एवं उन्हें आवंटन से सम्बन्धित समस्त जानकारी थी। उक्त प्रकरण में आदेश पारित होने के लगभग 02 वर्षो से भी अधिक समय पश्चात् प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट रूप से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नही करने से मयाद के बिन्दु पर भी उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने इन्ही आधारों पर एक प्रकरण उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव के समक्ष भी प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 03/2017 होकर उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 21.06.2017 को हो चुका है। इस प्रकरण में भी उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव ने यह विवेचन अंकित किया है कि अपीलान्ट का अपील से कोई सम्बन्ध नही है तथा यह अपील अप्रमाणिक है। न्यायालय ने यह भी अंकित किया है कि प्रार्थीगण यह सिद्ध करने में असमर्थ रहे है कि उक्त भूमि की किस्म राजस्व अभिलेख में पेटा तालाब हो या तालाब होने की पुष्टि होती हो। यदि मौके पर कोई तालाब या अन्य कोई स्थिति होती तो इसका ज्ञान ग्राम के अन्य सदस्यों को भी होता किन्तु 60 वर्षो तक किसी भी व्यक्ति द्वारा इस सम्बन्ध में उजर नही उठाना यह पुष्टि करता है कि मौके पर कोई तालाब नही है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 गलत तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज किया जावे।

मामले में तहसीलदार ऋषभदेव से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा अपने पत्र क्रमांक 507 दिनांक 13.07.2017 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट से असंतुष्ट

होने पर प्रार्थीगण द्वारा दुबारा मौका रिपोर्ट मंगाये जाने बाबत अनुरोध करने पर मामले में तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर पांच करने हेतु निर्देशित किया एवं दुबारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगायी गयी। तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2018/607 दिनांक 05.07.2018 द्वारा प्रेषित मौका कमिश्नर रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया कि राजस्व ग्राम कागदर भाटिया के साबिक आराजी संख्या 3718/1 भूमि में से हाल आराजी नम्बर 6220 रकबा 0.40 हेक्टेयर एवं 6223 रकबा 0.30 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.70 हेक्टेयर भूमि राजस्व ग्राम कागदर भाटिया की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 424 में मैसर्स मनोकामना मार्बल्स एन.एच.–8 कागदर भाटिया ऋषभदेव प्रोपराईटर श्री योगेश जैन निवासी 105, त्रिमूर्ति अपार्टमेन्ट, सेक्टर–14, उदयपुर के नाम खाते दर्ज होकर किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज है। मौके एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार वर्णित आराजी तालाब के रूप में दर्शित नही है एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नक्शा लट्ठा में कोई पाल बनी हुयी है एवं न ही उक्त भूमि तालाब पेटे के अन्तर्गत दर्ज रेकर्ड है। आराजी संख्या 6220, 6223 एवं इससे लगते हुये अन्य खसरा नम्बर के चारों ओर पूर्व में ऊंचाई पर आवासीय विद्यालय एवं अन्य खातेदारी व चारागाह भूमि स्थित है एवं पश्चिम में उदयपुर–अहमदाबाद एनएच–8 है, उत्तर दिशा में एनएच 8 से आवासीय विद्यालय को जोडने हेतु पक्की सडक है एवं दक्षिण दिशा में एनएच–8 से ग्राम कागदर भाटिया से मसारों की ओवरी सडक है। आराजी संख्या 6223 से लगती हुयी सडक कागदर भाटिया से मसारों की ओवरी के नीचे पानी की निकासी हेतु सीमेन्ट के पाईप लगे हुये है जिनके अवरूद्ध होने से बरसात ऋतु के दौरान जमा होने वाले पानी की पूर्णतया निकासी न होने पर आराजी सख्या 6220, 6223 एवं अन्य खसरा नम्बर में पानी भरा रहता है, जो वर्षा ऋतु पश्चात् धीरे धीरे सूख जाता है, प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में मौके पर तालाब पेटा व पाल होना बताया, जबकि राजस्व रेकर्ड में इसका कोई उल्लेख नही है। तहसीलदार से मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मामले में लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में किया गया आवंटन विधि एवं तथ्यों, जनहित एवं जनभावना के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। उक्त आवंटित की गयी भूमि की किस्म तालाब पेटा होकर डूब क्षेत्र की भूमि है जिसका आवंटन गलत तरीके से होने के कारण निरस्त होने योग्य है एवं नियमानुसार तालाब पेटे की भूमि का आवंटन किसी भी व्यक्ति को नही किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त आवंटन व पश्चातवर्ती की गई समस्त कार्यवाही निरस्त योग्य होने से निरस्त की जावे। बहस में भाग लेते हुये विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये पूर्व में जिला कलक्टर भू–अभिलेख में दर्ज शिकायत व उस बाबत् की गयी कार्यवाही की प्रति प्रस्तुत की एवं मौके के फोटो प्रस्तुत किये तथा निवेदन किया कि उक्त भूमि की किस्म पूर्व से ही बारानी चली आ रही है। उक्त भूमि की किस्म कभी पेटा तालाब नही रही है। इस सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव द्वारा अपने प्रकरण संख्या 03/2017 में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2017 में भी उक्त भूमि की

किस्म पेटा तालाब नही माना है एवं प्रार्थीगण की अपील नामान्तरकरण को खारिज किया है। चूकि मौके पर न तो तालाब है एवं न ही राजस्व रेकर्ड में तालाब होने का अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन को 60 वर्षो बाद निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, रेस्पोडेन्ट के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों आदि का अवलोकन किया एवं उसमें वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया, जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण में विवाद मौजा कागदर भाटिया पूर्व तहसील खेरवाडा हाल तहसील ऋषभदेव के साबिक आराजी संख्या 3718/1 के आवंटन से सम्बन्धित है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त भूमि की किस्म तालाब होने के आधार पर उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने की मांग की जा रही है, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि गत जमाबंदी में विवादित आराजी की किस्म सभी जगह बारानी ही अंकित की गयी है। मौके पर तालाब होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रार्थीगण अथवा उनके अधिवक्ता प्रस्तुत करने में असफल रहे है। तहसीलदार से प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट में भी उक्त भूमि की किस्म बारानी होना ही दर्शाया गया है। राजस्व रेकर्ड में तालाब पेटा होने का कही भी उल्लेख नही किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व में विचाराधीन जांच में भी उक्त भूमि की किस्म कही पर भी तालाब पेटा होना नही पाया गया है। पूर्व में इन्ही खातेदारों द्वारा उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव में दायर कराई गयी अपील संख्या 03/2017 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 676 व 677 में भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव द्वारा भूमि की किस्म पेटा तालाब होना नही माना है। इस प्रकार समग्र विवेचन अनुसार उक्त भूमि की किस्म प्रथम दृष्टया पेटा तालाब न होकर बारानी होना जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है एवं मौजा कागदर भाटिया की साबिक आराजी संख्या 3718/1 पर तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा किया गया आवंटन बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर